

अनिल कुमार झा, माओप्रगरेड
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय : राज्य योजना अंतर्गत सात निश्चय-3 के तहत सबका सम्मान-जीवन आसान (Ease of Living) के तहत तीन वर्षों में " Development and Implementation of Sugarcane Management System " हेतु चयनित एजेन्सी को सभी कर सहित सेवा शुल्क भुगतान हेतु कुल 389.99 लाख रू० (तीन करोड़ नवासी लाख निन्यावनें हजार रुपये मात्र) के भुगतान एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सात निश्चय-3 के अंतर्गत "सबका सम्मान, जीवन आसान" के उद्देश्य से राज्य के गन्ना कृषकों को गन्ना उत्पादन एवं आपूर्ति से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने तथा गन्ना उद्योग के प्रभावी संचालन हेतु गन्ना प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ एवं अधिक पारदर्शी बनाया जाना आवश्यक है।

(2) सात निश्चय-3 के अंतर्गत "सबका सम्मान, जीवन आसान" के उद्देश्य से गन्ना कृषक डेटा बैंक (Sugarcane Farmer Data Bank) जिसमें गन्ना कृषकों से संबंधित आवश्यक विवरण यथा कृषक का नाम, पता, पंजीकरण विवरण, भूमि/प्लॉट का विवरण संधारित किये जाने तथा गन्ना सर्वेक्षण, गन्ने की प्रजाति, कैलेण्डरिंग, Basic Quota, Bonding, गन्ना पर्ची, गन्ना आपूर्ति, भुगतान एवं अन्य संबंधित सूचनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जाना आवश्यक है।

(3) किसान के गन्ना सर्वेक्षण से लेकर गन्ना आपूर्ति एवं भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को एकीकृत एवं डिजिटल रूप से संचालित करने, विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक MIS एवं Dashboard उपलब्ध कराने तथा कृषकों को सरल एवं पारदर्शी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से Sugarcane Management System का विकास, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव किया जाना है।

(4) उपरोक्त वांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया। विहित निविदा प्रक्रिया एवं प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में M/s Dexian India Technologies Pvt. Ltd., Chennai, Tamilnadu को सेवा प्रदाता एजेंसी के तौर पर कार्य करने हेतु चयनित किया गया है। उक्त आलोक में राज्य योजना अंतर्गत सात निश्चय-3 के तहत सबका सम्मान-जीवन आसान (Ease of Living) के तहत तीन वर्षों में " Development and Implementation of Sugarcane Management System " हेतु चयनित एजेन्सी को सभी कर सहित सेवा शुल्क भुगतान हेतु कुल 389.99 लाख रू० (तीन करोड़ नवासी लाख निन्यावनें हजार रुपये मात्र) के भुगतान एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

15/9/2025

(5) इससे संबंधित आर.एफ.पी. के आधार पर M/s Dexian India Technologies Pvt. Ltd., Chennai, Tamilnadu के साथ एम.ओ.यू. कराया जाएगा तथा एम.ओ.यू. में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन कार्य का निष्पादन किया जायेगा।

(6) इस कार्य हेतु स्वीकृत राशि का भुगतान एम.ओ.यू. में निर्धारित माईलस्टोन के अनुरूप किया जायेगा। इस योजना की समय-सीमा एम.ओ.यू. की तिथि से अगले तीन वर्षों तक अनुमान्य होगी।

(7) Sugarcane Management System का निर्माण एवं संचालन संबंधी कार्यों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूरा किया जायेगा। यदि एजेन्सी द्वारा वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। M/s Dexian India Technologies Pvt. Ltd., Chennai, Tamilnadu द्वारा कार्य के प्रगति का विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को मासिक रूप से समर्पित किया जायेगा।

(8) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा राशि का भुगतान संबंधित एजेन्सी को CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

(9) स्वीकृत राशि की निकासी मांग संख्या-45 (गन्ना उद्योग विभाग) अंतर्गत बजट मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-108 वाणिज्यिक फसलें, उप शीर्ष- 0109 ईख विकास, विपत्र कोड-45-2401001080109 के अंतर्गत विषय शीर्ष-28 04-व्यवसायिक सेवाएँ अंतर्गत पुनर्विनियोग/अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि में से विकलनीय होगा।

(10) वित्त विभाग के पत्रांक-2561 (वि0)2 दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) कार्यक्रम के संलेख प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक-05.06.2026 एवं स्कीम स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-02.09.2026 को आयोजित बैठक में अनुशंसा प्राप्त है।

(12) स्वीकृत्यादेश प्रारूप एवं प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

(13) स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(14) वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

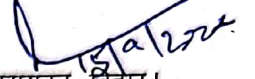
विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16366/2025-1709/50570

पटना, दिनांक- 15 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

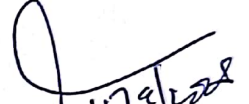

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16366/2025-1709/50570

पटना, दिनांक- 15 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/M/s Dexian India Technologies Pvt. Ltd., Chennai, Tamilnadu/सभी उप निदेशक, ईख विकास/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/महाप्रबंधक, सभी चीनी मिल/बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

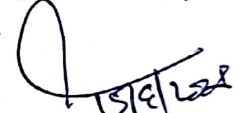
2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16366/2025-1709/50570

पटना, दिनांक- 15 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।